International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 02-04-2024, Accepted: 24-04-2024, Published: 19-05-2024
Volume 10, Issue 3, 2024, Page No. 25-29

वर्तमान भारत में मृत्यु दंड की प्रासंगिकता का विश्लेष्णात्मक अध्ययन

विवेक कुमार राय[1], अमित वर्मा[2]
[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी० जी० कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी० जी० कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
मृत्युदंड सभी सजाओं का उच्चतम रूप है, इससे अधिक किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मानवतावादी सुधारों की दिशा में आपराधिक प्रकिया में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे है जिसमें एक प्रमुख प्रश्न मृत्युदंड की प्रासंगिकता का भी है। एक सभ्य समाज में मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं, इसे क्रियान्वित करने की विधि क्या हो आदि ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर खोजने का प्रयास नागरिक समाज, सरकार एवं न्यायपालिका द्वारा निरंतर किया जा रहा है। प्रस्तुत लेख में इन प्रश्नों के सम्बन्ध में विभिन्न मतों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही अंत में सुझाव भी दिया गया है जिसके द्वारा मृत्युदंड को मानवीय, तीव्र, निष्पक्ष बनाया जा सकता है।

झमलूवतके: कारागार, कैदी, फांसी, मृत्युदंड

किसी अपराध के लिए सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता एवं उसके द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर निर्धारित होती है। दण्ड के सम्बन्ध में मुख्यतः दो प्रकार के विचार देखने को मिलते है; प्रथम विचार यह मानता है कि जिसने अपराध किया है उसे पीड़ा देना न्यायप्रिय है और यह पीड़ा अन्य व्यक्तियों को भी अपराध करने से रोकती है, इसलिए जब भी कोई जघन्य अपराध घटित होता है, भुक्तभोगी एवं समाज की एक ही मांग होती है कि दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाए। जबकि दूसरा विचार मानता है कि अपराधी को सुधारे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, केवल पीड़ा देना ही समस्या का समाधान नहीं करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन यह अधिकार निरपेक्ष अधिकार (Absolute Right) नहीं है तथा इसपर युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable restriction) लगाए जा सकते है। मृत्युदंड एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी अपराधी को उसके द्वारा किए गए गंभीर अपराध के सम्बन्ध में राज्य द्वारा मृत्यु की सजा दी जाती है। मृत्युदंड को भी मानवतावादी बनाये जाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जिससे दोषी के प्राण लेते समय भी उसकी गरिमा को बनाये रखा जा सके क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार भी शामिल है।

उद्देश्य

- मृत्युदंड के उद्देश्य को समझना।
- किसी देश में मृत्युदंड के औचित्य को समझना।
- भारत में मृत्युदंड के विभिन्न तरीकों और उनमें सुधार की आवश्यकता का अध्ययन करना।
- न्यायिक निर्णयों एवं नैतिकता के आधार पर मृत्युदंड की प्रासंगिकता को समझना।

शोध प्राविधि

इस अध्ययन में गैर–आनुभविक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु द्वितीयक स्रोत यथा– विभिन्न न्यायिक निर्णयों, विधि आयोग की रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का उपयोग किया गया है।

मृत्युदंड किन व्यक्तियों को देना चाहिए एवं किन्हें नहीं?

किन व्यक्तियों या दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए इस सम्बन्ध में विश्व एकमत है कि केवल गंभीर अपराधों में ही मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। यद्यपि किसी अपराध की गंभीरता देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है लेकिन फिर भी कुछ अपराध ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक देश में गंभीर माना जाता है और उसके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है ये अपराध है– देशद्रोह, हत्या, सशस्त्र विद्रोह, देश की एकता एवं अखंडता के विरूद्ध कार्य करना, डकैती, बलात्कार इत्यादि।1

यद्यपि उपर्युक्त अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है लेकिन आम धारणा है कि कुछ ऐसे अपराधी भी है जिन्हें इन अपराधों के लिए भी मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। ये अपराधी है– गर्भवती महिला, अवयस्क, मानसिक रूप से विक्षिप्त, गंभीर रोगों से ग्रस्त अपराधी आदि।

भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिताओं में मृत्युदंड का प्रावधान

भारतीय दंड विधानों के अंतर्गत मृत्युदंड सम्बन्धी प्रावधानों को निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है 2–

भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत मृत्युदंड

क्र०सं०	धारा संख्या	विवरण
1.	121	देशद्रोह, भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध छेड़ना
2.	132	सैनिक विद्रोह का दुष्प्रेरण
3.	194	झूठी गवाही देना जिसमें व्यक्ति को सजा या मृत्युदंड हो जाए
4.	195A	किसी व्यक्ति से धमकी या प्रेरणा द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करवाना जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हो जाये
5.	302	हत्या
6.	305	किसी बच्चे या विक्षिप्त व्यक्ति को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करना
7.	307(2)	आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे दोषी द्वारा हत्या का प्रयास
8.	364	फिरौती के लिए अपहरण
9.	376A	बलात्कार और चोट जिसके द्वारा महिला की मृत्यु हो जाती है अथवा वह निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है
10.	376E	बलात्कार के सम्बन्ध में पुनरावृत्ति करने वाले अपराधी
11.	396	डकैती जिसमें हत्या भी शामिल हो

अन्य कानूनों के अंतर्गत मृत्युदंड

क्र०सं०	धारा संख्या	अधिनियम
1.	34, 37, 38(1)	वायु सेना अधिनियम, 1950
2.	21, 24, 25(1)(A), 55	असम रायफल्स अधिनियम, 2006
3.	14, 17, 18(1)(A), 46	सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968
4.	17, 49	तटरक्षक अधिनियम, 1978
5.	4(1)	सती (निवारण) अधिनियम, 1987
6.	5	भारत रक्षा अधिनियम, 1971
7.	3	जेनेवा कन्वेंशन अधिनियम, 1960
8.	3(B)	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
9.	16, 19, 20(1)(A), 49	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992
10.	34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 49(2)(A), 56(2), 59	नौसेना अधिनियम, 1957
11.	15(4)	पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962
12.	16, 19, 20(1)(A), 49	सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007
13.	3(2)(i)	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
14.	10(B)(i), 16(1)(A)	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
15.	32A(1)	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

भारत में मृत्यु दंड का निष्पादन

मृत्युदंड प्राचीन कल से ही विभिन्न देशों में प्रचलित रहा है एवं इसके निष्पादन के विभिन्न तरीके समय–समय पर अपनाये जाते रहे है। उदाहरणस्वरूप गिलोटिन, गैस चौम्बर में व्यक्ति को रखकर जहरीली गैस प्रवेश करना, कुल्हाड़ी द्वारा सिर को धड़ से अलग कर देना, खम्भे में बाँधकर जीवित जला देना, गोली मारकर, फाँसी, प्राणघातक इंजेक्शन, बिजली का करेंट देकर इत्यादि। भारत में मृत्युदंड के सम्बन्ध में वर्तमान में दो विधियों का ही प्रावधान है–

फाँसीः भारत में सभी मृत्युदंड फांसी द्वारा ही दिए जाते है। स्वतंत्र भारत में फांसी की पहली सजा रशा अलियास रघुराज सिंह को जबलपुर जेल में दी गयी थी।[3] स्वतंत्रता उपरांत से अब तक कितने व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गयी है इसके आंकड़ों के सम्बन्ध में विवाद है। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केवल 57 व्यक्तियों को ही फांसी की सजा दी गयी है लेकिन अन्य स्रोतों के आधार पर यह संख्या अधिक मिलती है। 4 भारत में अंतिम फांसी की सजा निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में दी गयी।[5]

गोली मारनाः सेना अधिनियम, 1950; वायु सेना अधिनियम, 1950 एवं नौसेना अधिनियम, 1957 भी मृत्युदंड देने का प्रावधान करते है। सेनाओं में मृत्युदंड देने हेतु कोर्ट मार्शल को यह अधिकार दिया गया है। नौसेना अधिनियम की धारा 147 यह प्रावधान करती है कि कोर्ट मार्शल अपने विवेकाधिकार के आधार यह निर्णय करेंगे कि दोषी को फांसी के माध्यम से सजा दी जाये अथवा गोली मारकर।[6]

मृत्यु दंड का औचित्य?

मृत्युदंड के विषय में नैतिकता उचित या अनुचित की अपेक्षा औचित्यता को अधिक महत्त्व देती है। किसी भी सजा का उचित या अनुचित होना तत्कालीन परिस्थिति, समाज की मनोदशा, अपराध की गंभीरता इत्यादि कारकों पर निर्भर करता है। इन्हीं कारकों के प्रभाव में यह देखा जाता है कि कुछ देशों में दंड के उदार प्रावधान है जबकि कुछ देशों में कठोर प्रावधान है। एक सभ्य समाज में मृत्यु दंड वास्तव में होना चाहिए या नहीं इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के अपने–अपने विभिन्न तर्क है–

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

प्रो० सी० एम० अब्राहम ने ठीक ही कहा है कि "चूँकि मानव जीवन पवित्र है, अतः जो उसे नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं उसे इसका भुगतान करना होगा।"[7] मृत्युदंड के समर्थक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते है–

- मृत्युदंड सबसे बड़ा दंड है जिसमें अपराधी के प्राण ही ले लिए जाते है। चूँकि जीवित रहना सभी की प्रबल इच्छा होती है अतः मृत्युदंड के भय से व्यक्ति समाज विरोधी और कानून विरोधी कार्य नहीं करेगा। किसी आपराधिक कृत्य की परिणिति मृत्युदंड के रूप में होने से व्यक्ति अपराध करने से डरेगा। इस प्रकार मृत्युदंड की व्यवस्था अवरोध (Deterrence) का कार्य करती है।
- लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो जैसे अपराधशास्त्रियों का मत था कि कुछ अपराधी ऐसे होते है जिनमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज को अपराधविहीन करने हेतु मृत्युदंड अनिवार्य है। यदि समाज का उचित विकास करना है और समाज में शांति व व्यवस्था की स्थापना करनी है तो आवश्यक है कि दुर्दांत अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाये।[8]
- कांट के स्वतंत्र संकल्प सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है तथा यह जनता है कि समाज के पक्ष में वह जैसा निर्णय लेता है, समाज भी उसके सम्बन्ध में वैसा ही निर्णय लेता है। इस सिद्धांत में यह निहित है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध जैसे हत्या करता है तो समाज भी उस व्यक्ति के प्राण ले सकता है।
- कई समाजशास्त्रियों का मानना है कि मृत्युदंड से समाज में यह धारणा पुष्ट होती है कि 'बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा' होता है। परिणामतः समाज में सकारात्मकता का प्रसार होता है।
- एक न्यायप्रिय देश में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का अनुपालन किया जाता है। जब कोई अपराधी किसी व्यक्ति के विरूद्ध हत्या, दुष्कर्म आदि जैसा अपराध करता है जिससे पीड़ित व्यक्ति के जीवन के अधिकार का हनन होता है तो इस परिस्थिति में न्याय की अवधारणा अपराधी के लिए मृत्युदंड की मांग करती है।[9]
- आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर मृत्युदंड मितव्ययी पद्धति है। अपराधी को कारागार में रखने पर उसके ऊपर अधिक धन खर्च करना पड़ता है।
- कुछ मानवतावादी विचारकों का मत है कि मृत्युदंड अधिक मानवीय सजा है। कारावास की सजा मृत्युदंड की अपेक्षा अत्यधिक मानसिक और शारीरिक अशांति उत्पन्न करती है। कारागारों की अमानवीय स्थिति, स्वच्छता का अभाव, बीमारियों का प्रसार, घुट–घुट कर जीना आदि समस्याएं मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न करती हैं। मृत्युदंड में व्यक्ति जीवन की यातनाओं से मुक्ति पा जाता है।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

मृत्युदंड के सम्बन्ध के एक मत यह प्रचलित है कि यह सजा अपराधी को केवल उसी समय दी जानी चाहिए जब अपराध की जिम्मेदारी केवल अपराधी पर हो। लेकिन वर्तमान समय में अपराध और अपराध की परिस्थितियां आपस में अंतर्संबंधित हो गयी है जिस कारण किसी अपराध में केवल अपराधी का ही दोष साबित करना मुश्किल है। इन अपराधों में समाज और परिस्थितियों का भी योगदान है। इसलिए वर्तमान में मृत्युदंड की प्रासंगिकता पर प्रश्न–चिन्ह उठाये जा रहे है। मृत्युदंड की विरोध में निम्नलिखित तर्क दिए जाते है–

- मृत्युदंड अपने प्रमुख उद्देश्य, अपराध के प्रति प्रतिरोध के रूप के कार्य करना, को पूर्ण नहीं कर पा रहा है व समाज में निरंतर अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। विद्वानों का मानना है कि मृत्युदंड की सजा अधिकांशतः उन्हीं लोगों को मिलती है जो व्यावसायिक अपराधी (Professional Criminal), मानसिक व्याधि से ग्रस्त होते है इसलिए इन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता और ये अपराध करते ही रहते है।
- अपराध में कमी लाने और समाज को संगठित करने हेतु अनेक साधन है, इसके लिए मृत्युदंड आवश्यक नहीं है इसलिए मृत्युदंड की सामाजिक आवश्यकता नहीं है। यह भी देखा गया है कि मृत्युदंड को उन्हीं देशों में समाप्त किया गया है जो ऊँचे प्रगति के स्तर पर है, विकसित देशों की श्रेणी में है। इसलिए भारत में भी यह मांग उठती है कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए।
- भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ जीवन के अधिकार की गारंटी संविधान में सुनिश्चित की गयी है, वहां किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने से उसके संवैधानिक अधिकार का हनन होता है।
- मृत्युदंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार को समाज द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाने लगता है। इस प्रकार एक व्यक्ति को मृत्युदंड देने से उस सम्पूर्ण परिवार के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है।
- मृत्युदंड के विरोधियों का एक मत यह है कि मृत्यु के बदले मृत्यु की अवधारणा समाज को बर्बरता एवं असभ्यता की तरफ ले जाएगी। मृत्युदंड बर्बरता और पिछड़ेपन की निशानी है। आधुनिक समाज का विकास बर्बरता से सभ्यता की ओर हो रहा है इसलिए सभ्य समाज में मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए।
- जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, यद्यपि जब तक उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता वह शारीरिक रूप से जिंदा रहता है लेकिन मानसिक रूप से वह पहले ही मर जाता है। इसलिए वैयक्तिक नजरिये से भी मृत्युदंड गलत है।
- मृत्युदंड के विरोध में एक तर्क यह है कि यदि राज्य जीवन दे नहीं सकता तो किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करने का भी उसे अधिकार नहीं है।
- यद्यपि मृत्युदंड गंभीर मामलों में ही दिया जाता है और नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन भी किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक मानवीय कृत्य की भांति इसमें भी भूल की एक संभावना बनी रहती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को गलती से मृत्युदंड दे दिया गया तो उसे सुधारना संभव नहीं होगा। साथ ही न्याय प्रणाली भी व्यक्ति के समूह से ही निर्मित होती है जिसके अपने पूर्वाग्रह और विचार होते सकते है, जो तमाम अवैक्तिक कानूनों के पश्चात् भी निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखते है।[10]

मृत्युदंड के सम्बन्ध में न्यायिक मत

समय–समय पर विभिन्न वादों में भारतीय न्यायपालिका ने मृत्युदंड की प्रासंगिकता, इसके निष्पादन के तरीके के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत किया है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 354(3) के माध्यम से न्यायाधीश मृत्युदंड को विधिक और कानूनी दृष्टि से अनुज्ञेय मानते हुए दंड देते है जबकि इसके विरोधी इस धारा को उदार बनाये जाने का समर्थन करते है। मृत्युदंड के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण वाद है जिसमें न्यायपालिका ने मृत्युदंड के पक्ष–विपक्ष, मृत्युदंड की क्षमा याचिका आदि पर दिशा–निर्देश दिए–

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1980)[11] में सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि मृत्युदंड एक वैधानिक दंड है अतः यह अनुचित नहीं है एवं यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करता। इसके साथ ही इस वाद में 'विरले मामलों में से विरलतम' मामलों में ही मृत्युदंड देने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अल्पमत न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती ने विरोधी निर्णय देते हुए माना कि मृत्युदंड अनिवार्य रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। वास्तव में मृत्युदंड की अधिकांश सजा गरीबों को ही मिली है जबकि अमीर एवं संपन्न लोग आमतौर पर इसके चंगुल से बच जाते है। इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है।

दीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1983)[12] में सर्वोच्च न्यायालय ने विरलतम मामलों के निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश जारी किये। यदि हत्या बर्बरता एवं क्रूरतापूर्ण हो; हत्या का उद्देश्य घिनौना या दुराचार–युक्त हो; बड़े पैमाने पर हत्याएं की गयी हो; पीड़ित व्यक्ति कोई असहाय बच्चा, महिला, वृद्ध, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो ऐसे मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

टी० वी० वाथेसरन बनाम तमिलनाडु राज्य (1983)[13] में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अभियुक्त का मृत्युदंड दो वर्षों से अधिक विलंबित रखा गया हो तो उसकी सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया जाना चाहिए।

शेरसिंह बनाम पंजाब राज्य (1983)[14] में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ववत निर्णय को पलटते हुए कहा कि जहाँ अभियुक्त द्वारा तुच्छ एवं व्यर्थ कार्यवाहियों का सहारा लेते हुए मृत्युदंड को विलंबित किए जाने की कोशिश की गयी है, वहां विलम्ब के आधार पर मृत्युदंड को लघुकृत नहीं करना चाहिए।

मीठू बनाम पंजाब राज्य वाद (1973)[15] में न्यायालय ने प्च्ब् की धारा 303 को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 का उल्लंघन मानते हुए प्च्ब् की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया।

देवेन्द्र पाल सिंह भुल्लर बनाम दिल्ली राज्य (2013)[16] में 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी की मृत्युदंड की सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया क्योंकि उसकी क्षमा याचिका पर लम्बे समय तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)[17] में सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को कुछ दिशा–निर्देश जारी किए जिसके अनुसार किसी दोषी की क्षमा याचिका के सम्बन्ध में निर्णय लेते निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए–.

a. दोषी का व्यक्तित्व (लिंग, उम्र या मानसिक अवस्था) अथवा दुर्घटना की परिस्थितियाँ (किसी के बहकावे या उत्तेजनापूर्ण अवस्था में अपराध हुआ है या सोच–विचार कर)।
b. अपीलीय न्यायालय में साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न–चिन्ह उठाये गए है।
c. अपील पर उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को उलट दिया या सजा को बढ़ा दिया।
d. जाँच एवं ट्रायल में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा हो।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मृत्युदंड से संबंधित प्रकरणों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय ने आकस्मिक आवेश या भावावेश या उत्तेजना, विषयासक्ति के कारण उत्पन्न घृणा, पारिवारिक कलह, भूमि संबंधी झगड़ों, पार्टनर का विश्वासघात या मृत्युदंड से दण्डित अभियुक्त के दंड के प्रवर्तन में विलम्ब आदि को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास का दंड दिए जाने का उचित कारण माना है।[18] इस आधार पर न्यायपालिका का मत मृत्युदंड को बनाये रखने के पक्ष में है यद्यपि इसका उपयोग कुछ चुनिंदा मामलों में ही क्यों न किया जाये।

विधि आयोग का मत

विधि आयोग ने समय–समय पर अपनी रिपोर्ट्स में मृत्युदंड में सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत किया है। विधि आयोग ने "मृत्यु के

दण्डादेश के निष्पादन का ढंग तथा अन्य आनुषंगिक विषयों पर 187वीं रिपोर्ट" (2003) में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की[19] –

1. मृत्युदंड के निष्पादन की वर्तमान विधि जिसका उल्लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) के अनुसार 'गर्दन से लटकाकर तब तक फांसी जब तक मृत्यु न हो जाए' में परिवर्तन कर नया वैकल्पिक प्रावधान 'प्राणघातक इंजेक्शन द्वारा मृत्युदंड' जोड़ा जाए।
2. मृत्युदंड के निष्पादन के ढंग के चयन का अंतिम अधिकार न्यायालय के पास ही रहना चाहिए, यद्यपि दोषी को निष्पादन के ढंग के विषय में सुनवाई का अवसर उपलब्ध होना चाहिए।
3. उन मामलों में जहां उच्च न्यायालय मृत्यु दण्डादेश देता है या सेशन न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश की पुष्टि करता है, सर्वोच्च न्यायालय में, अधिकार के रूप में, अपील होनी चाहिए।
4. उन मामलों में जिनमें मृत्युदण्ड दिया गया है, सुनवाई करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में कम से कम पांच न्यायाधीश होने चाहिए।

विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट "मृत्युदंड" में आयोग ने मृत्युदंड को बनाये रखने का समर्थन किया एवं अपने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए [20]–

1. आयोग ने माना कि मृत्युदंड को समाप्त नहीं करना चाहिए। मृत्युदंड उचित होगा या अनुचित, यह उस मामले की गंभीरता एवं न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, जहाँ इस मामले की सुनवाई हो रही है।
2. गलती की संभावना मृत्युदंड समाप्त करने का कारण नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह वाद में 'विरले मामलों में से विरलतम' (Rarest of the rare) मामले के सिद्धांत की व्याख्या की है जिसके लगातार अनुपालन किया जा रहा है।
3. फिरौती के लिए अपहरण, हत्या, आतंकवादी गतिविधियां संचालित करना ऐसे अपराध हैं जिन्हें जघन्य अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके लिए मृत्युदंड को ध्यान में रखना गैर–आनुपातिक नहीं है। 'कैसे आतंकवादी को सुधारा जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की शांति को, यदि समाज को उसी रूप में नहीं, नष्ट करना है।'[21]

सुझाव

- भारतीय सन्दर्भ में यह अपेक्षित है कि मृत्युदंड का उन्मूलन नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इसे वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। अर्थात् केवल उन्हीं अपराधियों को यह दंड दिया जाना चाहिए जिन्होंने अतिगंभीर अपराध किए हो, इस सम्बन्ध में संदेहहीन स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध हो।
- मृत्युदंड की प्रक्रिया अत्यंत लंबी है जिसके कारण कैदियों को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, परिणामतः वे मृत्युदंड की मांग स्वतः करने लगते है।
- यद्यपि मृत्युदंड से दंडित कैदियों की संख्या अपेक्षाकृत लगातार कम हो रही है लेकिन फिर भी मृत्युदंड की सजा के इंतज़ार में अनेक कैदी प्रतीक्षारत है। अतः उनके मामलों में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। या तो उन्हें मृत्युदंड तुरंत दिया जाए या मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर उनकी सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाए।
- मृत्युदंड देने मात्र से ही अपराध की समस्या का अंत नहीं हो सकता, इसके लिए आवश्यक है कि अपराध हेतु समाज की नैतिक जिम्मेदारी पर भी विमर्श होना चाहिए। क्योंकि अपराध का सामाजिक कारक सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक अपराध की जड़ें समाज में ही होती है व अपराधी से अधिक समाज अपराध के लिए उत्तरदायी है जिसने अपराध होने से पूर्व सकारात्मक प्रयास नहीं किए। आतंकवाद, बलात्कार व हत्या जैसी निंदनीय घटनाएं कहीं न कहीं समाज की विभाजनकारी संरचनाओं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, हिंसा का महिमामंडन जैसी व्यवस्था एवं क्रियाकलापों से जुड़ी होती हैं। इन व्यवस्थाओं को सिनेमा, फूहड़ गीतों, राजनीतिक आचरणों द्वारा समाज में स्वीकृति मिलती है इन विषयों पर समाज द्वारा विचार–विमर्श, चिंतन द्वारा ऐसे घृणित अपराध को रोकने की दिशा में तेजी से प्रयास किया जा सकता है।
- मृत्युदंड के सम्बन्ध में एक स्थायी परामर्शीय बोर्ड का गठन किया जाए जो केस दर केस कार्यपालिका को सुझाव दे।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति) का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाए जिससे सर्वोच्च न्यायालय एवं संघ सरकार के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
- किसी दोषी की दया याचिका (अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की विवेकाधीन शक्ति) पर निर्णय लेने की समय सीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. बघेल, डी० एस०; अपराधशास्त्र; विवेक प्रकाशन; दिल्ली; 2021; पृष्ठ सं० 287
2. भारत सरकार विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 21–22
3. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081618-1.pdf.
4. http://www.deathpenaltyindia.com/wp-content/uploads/2014/12/PrisonersExecutedinIndiasince-1947.pdf
5. https://timesofindia.indiatimes.com/india/number-of-executions-much-higher-than-55/articleshow/1046770.cms
6. https://www.thehindu.com/news/national/nirbhaya-case-four-convicts-hanged-to-death-in-tihar-jail/article61960571.ece#:~:text=It%20awarded%20death%20to%20all,2017%20upheld%20the%20death%20penalty.
7. https://indiankanoon.org/doc/957745/
8. उपरोक्त 280
9. उपरोक्त 278
10. मृत्युदंड: उचित या अनुचित? https://www.drishtiias.com/hindi/paper4/death-penalties-reasonable-or-inappropriate
11. https://www.drishtiias.com/hindi/paper4/death-penalties-reasonable-or-inappropriate
12. AIR 1980 SC 898
13. AIR 1983 SC 1155
14. AIR 1983 SC 361
15. AIR 1983 SC 456
16. AIR 1983 SC 473
17. https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-commutes-bhullars-death-sentence/article5853765.ece

18. AIR 2014 SC 641
19. ना० वि० परांजपे; अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र एवं प्रपीड़नशास्त्र; सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन; 2021; पृष्ठ संख्या 362
20. भारत सरकार विधि आयोग की 187वीं रिपोर्ट https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081020-2.pdf
21. भारत सरकार विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081618-1.pdf.
22. उपरोक्त 155